

फर्द डिकी मुकदमात इब्तादाई  
आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 24 / 2022

तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

1. अमरलाल पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल जाति कीर ।
  2. दुर्गाशंकर पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल जाति कीर ।
  3. मांगीलाल पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल जाति कीर ।
  4. हीराबाई पत्नी स्व0 पृथू उर्फ पृथ्वीलाल जाति कीर निवासीगण ग्राम चनावता  
तहसील सांगोद जिला कोटा ।
- वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद ।

— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :-

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादीगण)

दिनांक :- 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, नया

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
सांगोद (कोटा)



आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार जैन मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि -

ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद में स्थित खसरा न० 407 की 1.08 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण कम 1 ता 3 के पिता का नाम प्रभू पुत्र धन्ना के स्थान पर पृथू उर्फ पृथ्वीलाल पुत्र धन्ना दर्ज किया जाकर वादीगण को मृतक पृथू उर्फ पृथ्वीलाल पुत्र धन्ना के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुक्रम में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में प्रभू पुत्र धन्ना के स्थान पर दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।


(अंजना सहरावत)  
उपखण्डाधिकारी, सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्डाधिकारी, सांगोद

(अंजना सहरावत)  
उपखण्डाधिकारी, सांगोद



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, कोटा

क्रमांक-२०२२/३४०

दिनांक- १/५/२२

तहसीलदार,  
तहसील सांगोद।

विषय:- इजराय संख्या ५०/२०२२ उनवान अमरलाल बनाम  
सुरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० २५/२२ उनवान अमरलाल  
बनाम सुरकार के न्यायालय में दिनांक १२/३/२२ को  
निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति  
भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से  
स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक २५/६/२२ से पूर्व पालना करना  
सुनिश्चित करें।

सलंगन-

निर्णय-डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत

उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद, जिला कोटा  
सांगोद

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

50/22

क्रमांक / LR / 2023 / 788

दिनांक-16/03/23


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0.....24/2022  
उनवान.....अमरलाल / राजलाल.....में जारी डिक्री दिनांक  
.....09/3/22 की पालना में ग्राम.....चोकला.....में नामान्तरकरण सं.....325  
दिनांक.....8/06/22को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी  
है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्रवाई सेच नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

  
तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

## जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2075 - 2078

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 36

खाता संख्या पुराना :- 40

नाम :- चनावता  
हिल्का :- नाहरिया  
ति. :- विनोदखुर्द  
:- साँगोद  
कोटा

र का नाम:-

मरलाल पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल हिस्सा- 1/30 जाति- कीर सा. देह खातेदार

मरलाल पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल हिस्सा- 1/30 जाति- कीर सा. देह खातेदार

मरा पुत्र गणेशराम हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार

मेली पुत्री काना हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार

मनाबाई पत्नि स्व. काना हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार

गशंकर पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल हिस्सा- 1/30 जाति- कीर सा. देह खातेदार

द्वारकाप्रसाद पुत्र काना हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार

देवीशंकर पुत्र काना हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार

नन्दकिशोर पुत्र देव्या हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार

बालमुकुन्द पुत्र देव्या हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार

मोहन पुत्र धन्ना हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार

सुमित्रा पुत्री काना हिस्सा- 1/10 जाति- कीर सा. देह खातेदार,

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
--------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	--	---------

1.0800 चाही द्वितीय 1.0800 29.16

स्वीकृत नामान्तरकरण : 325 08/06/2022 न्याया. आदेश

खसरे - 1 1.0800 1.0800 29.1600

प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

HC